प्रकरण संख्या 95/2016 कूका बनाम कन्ना

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता वरदा ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनी कला के साबिक आराजी नंबर 1 मी. रकबा 4 बीघा भूमि तत्कालीन ठाकुर नाथूसिंह जी ने वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संवत् 2016 में विक्रय कर दी, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। संवत् 2028 में उक्त आराजी साबिक नंबर 1/7 कायम कर वादी के खातेदारी हक से दर्ज हुई। इसके बाद सेटलमेन्ट में इसके नंबर 65, 66, 64 मी. बने, जिस पर वादी का कब्जा है, लेकिन सेटलमेन्ट ने इन साबिक नंबरों को आराजी नंबर 1/8 से बनना अंकित कर दिया, जो गलत है तथा प्रतिवादी के नाम भी गलत अंकित किये। अतः वादी को आराजी नंबर 65, 66, 64 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर प्रकरण राजस्व अपने निर्णय दिनांक 04.10.1997 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर गलत वाद डिक्री किया है, क्योंकि राजीनामे में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था तथा उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 31.08.2016 को हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1992 पेज 17 एवं आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 602 प्रस्तुत की। उपरोक्त न्याय नजीरों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 95/2016 कूका बनाम कन्ना

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों एवं में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से दोला व वरदा के बीच हुए राजीनामे के आधार पर अपीलान्ट की खरीदशुदा व खातेदारी की आराजियात को बिना अपीलान्ट को सुने उसकी अनुपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया है, जो न्याय प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.1997 निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें सिविल टाईम्स 2010 (1) पेज 320 एवं आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 446 प्रस्तुत की।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, किन्तु उक्त राजीनामे पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि प्रस्तुत न्यायिक नजीर सिविल टाईम्स 2010 (1) पेज 320 एवं आर. आर.टी. 2017 (1) पेज 446 अनुसार राजीनामे पर सभी पक्षकार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर जो वाद डिक्री किया है, वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.1997 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को विधिवत सूचना देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested